

शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - उर्थशास्त्र
दिनांक - 24-09-2020, वर्ग - BA-II

(4) राज्य-वार सहायता (State-wise Assistance)

अब तक IDBI द्वारा प्रधान की गयी सहायता में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर-प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों को सबसे अधिक भाग प्राप्त हुआ है। अब IDBI पिछले राज्यों के अधिक प्रहण देने का प्रयास करता है।

(5) क्षेत्रवार सहायता (Sector-wise Assistance):-
IDBI द्वारा अब तक प्रधान की गयी सहायता में निजी क्षेत्र (private sector) का भाग 75.5% रहा है। अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) का भाग 14.9%, संयुक्त क्षेत्र का भाग 8% तथा सहकारी क्षेत्र (cooperative sector) का भाग 2.8% रहा है।

(6) पुनर्वित्त सहायता (Refinance Assistance) ⇒

अब IDBI भारत की पुनर्वित्त

प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। एक अन्य संस्था NABARD भी कुनक्ति की सुविधा प्रदान करता है। अप्रैल 1990 से SIDBI भी अब कुक्ति सहायता प्रदान करने लगा है।

(7) निर्यात अहणों एवं स्थगित भुगतानों के लिए गारंटीयाँ (Guarantee for Export Loans and deferred payments) —

विकास बैंक द्वारा ऐसी गारंटीयाँ की वकाया राशि 360 करोड़ थी। अब यह कार्य निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank) द्वारा किया जा रहा है जिसे जनवरी 1982 में स्थापित किया गया।

(8) अन्य विविध कार्य (Other miscellaneous function) —

अन्य भारतीय वित्तीय

निगमों (IFCI, ICI, LIC, LICI, UTI) संयुक्त बैठके समय-समय पर विकास बैंक द्वारा आयोजित की जाती हैं जिनमें राज्य-स्तरीय वित्त निगमों (SFC, SIDC) के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। उनमें अंतर-स्थागत (Inter-institutional) मामलों पर विचार विमर्श होता है।

सहायता प्राप्त कंपनियों की प्रगति की देख रेख के लिए (for monitoring the progress) ऐसी कंपनियों के संचालक मंडलों में कुछ संचालकों को नियुक्ति करने का आदेश IDBI को है। इस समय 940 कंपनियों के संचालक मंडलों में IDBI के नामांकित संचालक (Nominee Directors) कार्यरत हैं।

विकास बैंक के अन्य कार्यों

के अन्य कार्यों में अनेक कार्य शामिल हैं। जैसे राज्यों के वित्तीय निगमों एवं तकनीकी संगठनों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों का आयोजन, समय-समय पर इनका निरीक्षण एवं प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा, वित्तीय परामर्श, आयुजन अनुसंधान सर्वेक्षण आदि के कार्य तथा विकास एवं प्रबंध संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार गोष्ठियों (Seminars) का आयोजन आदि।

(3) नरम उधार योजना (Soft Loan Scheme)

भारतीय औद्योगिक

विकास बैंक ने 1976 में नरम उधार योजना चालू की ताकि कुछ चुने हुए उद्योगों को (अर्थात् सिमेंट, सूती वस्त्र उद्योग, परसन और चीनी तथा कुछ इंजीनियरिंग उद्योग) को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके जिससे वे अपने प्लान एवं

मशीनरी के आधुनिकरण, पुनर्स्थापना और मरम्मत की योजनाओं को लागू कर सके।

इस प्रकार कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत 75 न. ब्याज दर ली जाती है और उसे ऋण की अवधि 15 वर्ष रखी जाती है। यह योजना परिवर्तनीयता अनुच्छेद (convertibility clause) के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए आकर्षक नहीं थी। इसे हटा देने के पश्चात् वितरण की गति तेज कर दी गयी।

जनवरी 1984 से नरम उधार योजना का संशोधन कर इसे आधुनिककरण के लिए नरम उधार योजना कहा गया ताकि इसके अन्तर्गत अल्प आय वर्गों की सहायता की जा सके।